FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री अंतेश शर्मा	बनाम	नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य

किस्म मुकदमा अपील संख्या–**11 / 2017** (**GCMS/2017/00181**)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
19.07.2021	दिनांक 22.03.2021 को वकील अपीलार्थी मय अपीलार्थी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो पेश किया एवं एवं निवेदन किया कि अपीलार्थी उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है, इसलिए उक्त अपील को इसी स्तर पर विड्रो किए जाने का अनुरोध किया है। आज वकील अपीलार्थी पुनः उपस्थित। वकील अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील को इसी स्तर पर विड्रो किए जाने का अनुरोध किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया और वह अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। यहा अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिया गया है कि अपीलार्थी हस्तगत अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी पक्षकार नहीं था और न ही इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने बाबत प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. का प्रस्तुत किया जो प्रावधानोंनुसार अत्यावश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील इस बिन्दु पर भी खारिज योग्य है, यद्यपि अपीलार्थी हस्तगत अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने हेतु स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।		